आपराधिक प्र.क.: 926/2014

## <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 926 / 2014

संस्थित दिः 10 / 10 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — अभियोगी

## विरुद

शंकरलाल उर्फ गोलू पिता स्व. चमरूलाल, उम्र 22 साल, निवासी केण्डाटोला थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.) ————————— आरोपी

## –<u>ः: उर्पापण – आदेश ः:</u>–

## (आज दिनांक 31/10/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि गुम इन्सान आवेदन क्रमांक 26/13 की जांच में पाया गया कि कुमारी अंजली को दिनांक 27.06.2013 को आरोपी शंकर उर्फ गोलू उसके माता—पिता की विधिपूर्ण सुरक्षा से बिना अनुमित के बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर भगाकर ले गया और शारीरीक शोषण (बलात्संग) किया। जांच के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04/14 अन्तर्गत धारा 363 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366(क), 376 (2)(ढ) एव 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366(क), 376(2)(ढ) एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने

-//02//- आपराधिक प्र.क.: 926/201**4** 

से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोद्य, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गई।, (06)
- उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (07)महोदय, बालाघाट को भेजी जावे 🛚 🛴
- में आरोपी प्रकरण न्यायिक अभिरक्षा (80)में उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 13.11. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

्रामण्ड जिस्ट्रेट प्र इर, जिला बार स्थापन (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट